न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—11/19 (2019/00003) वाद पत्र

अनवान

1. शंकरनाथ पिता अमरानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजुनाथ पिता अमरानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नैनानाथ पिता सुण्डानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. घीसानाथ पिता भूरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. माहनी पत्नि लेहरूनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गोवर्धननाथ पिता घीसानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रेवतनाथ पिता देवानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. श्रवणनाथ पिता सुवानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. सुखानाथ पिता मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भागुड़ी बेवा मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नैनानाथ पिता शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रोशननाथ पिता शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. प्रभुनाथ पिता शंभुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लक्ष्मीदेवी पत्नि शंभुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मोहननाथ पिता भोलानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सोहननाथ पिता लादुनाथ नाबा माता मंजुदेवी जोगी नि. मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. पारसी पिता लादुनाथ नाबा माता मंजुदेवी जोगी नि. मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मंजुदेवी पत्नि लादुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. हेमनाथ पिता रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. धर्मी पुत्री रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. नेनी पुत्री रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. प्रेमी पुत्री रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. सुड़ी बेवा राजुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. भावना पुत्री राजुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. मीना पुत्री राजुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. सरंपच/सचिव ग्राम पंचायत बागड़ पंचायत समिति रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. जाकिर हुसैन —

प्राथीगण अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक [illegible].04.2021

पत्रावली आज पेश हुई। [illegible] में विवरण इस प्र[illegible] कि ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 17 के आधिपत्य एंव स्वामित्व की खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 348 रकबा 0.2668 है0 स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि

आराजी संख्या 348 रकबा 0.2668 है0 पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण उनका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण की उक्त कृषि मे ही गांव में जाने का रास्ता है तथा रास्ता व वादीगण की कृषि आराजियात के मध्य कुछ जमीन थी जिस पर प्रतिवादी संख्या 19 के तत्कालीन सरपंच/सचिव ने वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 को विश्वास दिलाया कि उक्त भूमि पर राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति योजना के तहत् दुकानो का निमार्ण करवाना है आपको उक्त जमीन के बदले अन्य जगह पर जमीन दे देगें। प्रतिवादी संख्या 19 के विश्वास में दिलाने से वादीगण की आराजी संख्या 348 में गांव में जाने वाले रास्ते के समीप मियाला बस स्टेण्ड पर दुकाने बनाने की इजाजत दे दी। प्रतिवादी संख्या 19 द्वारा वादीगण की जमीन पर 5 दुकानो का निर्माण करवाया तथा अन्य व्यक्तियो को किराये दे रखी है। वादीगण ने कई मर्तबा दुकानो की जमीन के बदले जमीन देने को कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 19 हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रतिवादी संख्या 19 द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 को मुगालते में रख कर दुकानो का निमार्ण कर अवैध कब्जा कर रखा है जिसे हटाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त अवैध दुकाने हटाने बाबत् कहा तो प्रतिवादी संख्या 19 ने वादीगण को मना कर दिया जिससे वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 18, 19 को दिनांक 13.09.2018 को पंजीकृत सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 109 पंचायत राज एक्ट व धारा 80 सी.पी.सी के तहत् दिया गया परन्तु उनके द्वारा अब तक वादीगण की भूमि से अवैध कब्जा नही हटाया गया जिससे वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी संख्या 18, 19 के विरूद्व बेदखल की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया। अतः सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण 18 व 19 इस आशय की बेदखली की डिक्री जारी फरमाई जाए कि ग्राम मियाला की आराजी संख्या 348 रकबा 0.2668 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 19 द्वारा अवैध रूप से बनाई गई दुकानो को हटाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाए जाने की डिक्री सादिर फरमाई जाए।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किया गया। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 बावजुद सूचना के उपस्थिति नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 18 फौरमल पक्षकार होने से कोई दाद नही चाही गई है तथा प्रतिवादी संख्या 19 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया है। प्रतिवादी संख्या 19 ने अपने जवाब में कथन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 से 5 तक स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 17 तक दुकानो में लगाई गई लागत अदा करने को तैयार हो तो प्रतिवादी संख्या 19 वादीगण को कब्जा देने के लिये सहमत है। प्रतिवादी को नोटिस देना स्वीकार है परन्तु दुकाने ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई जिससे वादीगण दुकानो की लागत ग्राम पंचायत को अदा करने पर ही वादीगण कब्जेयापी की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है साथ ही अन्त में निवेदन किया कि लागत मूल्य देने पर वादीगण के पक्ष में डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:20 IST
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ता द्वारा [illegible] वादी के बयान कराये गये तथा रेकार्ड प्रदर्शित कराया गया और अन्त में दौरान बहस [illegible] वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद में डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि विपक्षी संख्या 19 के द्वारा राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति योजना के तहत् जो दुकाने निर्मित की गई उनके विषय में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 की संयुक्त खातेदारी

भूमि में स्थित होना दोनो पक्ष निर्विवादित रूप से स्वीकार करते है। विपक्षी संख्या 19 के द्वारा खातेदारी भूमि में निर्मित दुकानो के निमार्ण की लागत राशि का भुगतान खातेदारो के द्वारा विपक्षी 19 सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बागड़ को रसीदन भुगतान करने पर दुकानो सहित भूमि का कब्जा खातेदार को देने में कोई आपत्ति नही होना जवाबदावा व बहस में निवेदन किया गया एवं स्वामित्व सम्बन्धि राजस्व रेकार्ड भी प्रदर्शित कराया गया। जब विपक्षी 19 (ग्राम पंचायत बागड) स्वयं यह मान रही है कि राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति योजना के तहत् जो दुकाने निर्मित की गई वो वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि में स्थित है तो दावा डिक्री करने में इससे बड़ा कोई प्रमाण नही हो सकता है। जहां तक विपक्षी 19 का यह कथन है कि खातेदारी भूमि में जो दुकाने ग्राम पंचायत बागड़ के द्वारा निर्मित की गई है उस भूमि का कब्जा देने में तो कोई आपत्ति नही मगर उस भूमि पर लागत लगा कर जो दुकाने निर्मित की गई है उसका भुगतान खातेदारो द्वारा किया जाना आवश्यक है चुंकि जहां दुकाने निर्मित है वह भूमि सड़क के पास एवं मौके की होने से ही दुकाने निर्मित की गई है जिसकी लागत ग्राम पंचायत बागड़ के द्वारा लगाई गई है तो उस लागत का भुगतान खातेदारो द्वारा ग्राम पंचायत बागड़ को किया जाना भी न्योयोचित है। अगर खातेदारो द्वारा ग्राम पंचायत बागड़ को दुकाने निमार्ण की लागत का भुगतान नही किया जाता है तब तक निर्मित दुकाने ग्राम पंचायत के कब्जे में रहेगी। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इसी अनुसार डिक्री किया जाना उचित समझता हुं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 19 के इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 17 के स्वामित्व की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 348 रकबा 0.2668 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 19 द्वारा अवैध कब्जा कर राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति योजना के तहत् जो दुकाने निर्मित की गई है उनकी लागत का मुल्यांकन निमार्ण वर्ष की दर के अनुसार सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग रायपुर एवं सहायक अभियन्ता पंचायत समिति रायपुर के द्वारा करने पर जो निमार्ण की लागत राशि निर्धारित की जाती है उसका रसीदन भुगतान खातेदारो द्वारा विपक्षी संख्या 19 को करने पर खातेदारो की उक्त विवादित भूमि में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति योजना के तहत् निर्मित दुकानो का कब्जा खातेदारो को सिपूर्द किया जावे। उक्त मुल्यांकन एवं राशि भुगतान की कार्यवाही 3 माह के अन्दर अन्दर की जानी होगी। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 19 वादीगण की उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करेंगे न अन्य से करायेंगें इसी आशय की डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर, सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग रायपुर एवं सहायक अभियन्ता पंचायत समिति रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:20 IST
Reason: SelfAttested

1-4-2021
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–11/19 (2019/00003) वाद पत्र

अनवान

1. शंकरनाथ पिता अमरानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजुनाथ पिता अमरानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नैनानाथ पिता सुण्डानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. घीसानाथ पिता भूरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. माहनी पत्नि लेहरूनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गोवर्धननाथ पिता घीसानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रेवतनाथ पिता देवानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. श्रवणनाथ पिता सुवानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. सुखानाथ पिता मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भागुड़ी बेवा मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नैनानाथ पिता शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रोशननाथ पिता शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. प्रभुनाथ पिता शंभुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लक्ष्मीदेवी पत्नि शंभुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मोहननाथ पिता भोलानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सोहननाथ पिता लादुनाथ नाबा माता मंजुदेवी जोगी नि. मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. पारसी पिता लादुनाथ नाबा माता मंजुदेवी जोगी नि. मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मंजुदेवी पत्नि लादुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. हेमनाथ पिता रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. धर्मी पुत्री रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. नेनी पुत्री रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. प्रेमी पुत्री रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. सुड़ी बेवा राजुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. भावना पुत्री राजुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. मीना पुत्री राजुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. सरंपच/सचिव ग्राम पंचायत बागड़ पंचायत समिति रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:20 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 19 के इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 17 के स्वामित्व की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 348 रकबा 0.2668 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 19 द्वारा अवैध कब्जा कर राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति योजना के तहत् जो दुकाने निर्मित की गई है उनकी लागत का मुल्यांकन निमार्ण वर्ष की दर के अनुसार सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग रायपुर एवं सहायक अभियन्ता पंचायत समिति रायपुर के द्वारा करने पर जो निमार्ण की लागत राशि निर्धारित की जाती है उसका रसीदन भुगतान खातेदारो द्वारा विपक्षी संख्या 19 को करने पर खातेदारो की उक्त विवादित भूमि में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति योजना के तहत् निर्मित दुकानो का कब्जा खातेदारो को सिपूर्द किया जावे। उक्त मुल्यांकन एवं राशि भुगतान की कार्यवाही 3 माह के अन्दर अन्दर की जानी होगी। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 19 वादीगण की उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करेंगे न अन्य से करायेंगें इसी आशय की डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर, सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग रायपुर एवं सहायक अभियन्ता पंचायत समिति रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1.4.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:20 IST
Reason: SelfAttested